



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 30.03.2019 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति-कुलपति
3.	डॉ० गणेश कुमार	सदस्य
4.	प्रो० जितेन्द्र मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो० आफशाँ सिद्दीकी	सदस्य
6.	प्रो० सुधा यादव	सदस्य
7.	प्रो० कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
8.	प्रो० आलोक कुमार गोयल	सदस्य
9.	प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	सदस्य
10.	डॉ० श्रीकृष्ण तिवारी	सदस्य
11.	श्री हेमशंकर बाजपेयी	सदस्य
12.	डॉ० धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
13.	श्री शिवानन्द गुप्त	सदस्य
14.	श्री हेमन्त कुमार चोपड़ा	सदस्य
15.	डॉ० जे०के० लाल	सदस्य
16.	डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
17.	श्री प्रमथ नाथ मिश्र	सदस्य
18.	प्रो० राम अचल सिंह	सदस्य
19.	श्री प्रमोद मातनहेलिया	सदस्य
20.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
21.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ-साथ मा० कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, आचार्य, वाणिज्य विभाग, प्रो० लल्लन यादव, आचार्य, भौतिकी विभाग, प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग, डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, मनोविज्ञान विभाग, संत विनोबा, पी०जी०कालेज, देवरिया एवं, डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो० गणेश कुमार, अधिष्ठाता, औषधि संकाय, प्रो० आफशाँ सिद्दीकी, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, प्रो० सुधा यादव, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर एवं श्री शिवानन्द गुप्त, बी०आर०डी०बी०डी०पी०जी०कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की—

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.01.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.01.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2019 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.01.2019 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया एवं इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया— (क) डॉ० रानी धवन, (सेवानिवृत्त) उपाचार्य, यू०जी०सी०-ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमण्ट सेण्टर (एकेडेमिक स्टाफ कालेज), दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सत्र लाभ देने के प्रकरण पर विश्वविद्यालय के द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सदन की पृच्छा पर गठित समिति के संयोजक, प्रो० जितेन्द्र मिश्रा ने सदन को अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में यू०जी०सी० को पत्र प्रेषित गया है। आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य परिषद् ने इस सम्बन्ध में यू०जी०सी० को पुनः स्मरण पत्र भेजने का निर्णय लिया। (ख) बिन्दु संख्या पर 30(3) पर सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में "विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साईन्स विषय" की सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में परीक्षण करने के लिए गठित समिति की कार्यवाही पर डॉ० जे०के०लाल की पृच्छा पर समिति के संयोजक प्रो० एस०के०दीक्षित ने सदन को अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में परीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही पूर्ण कर ली जायगी।
3	कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.03.2019 की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय के प्रस्तावित बजट को पारित किया।
4	कार्यपरिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 09.03.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 09.03.2019 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
5	कार्यालय आदेश संख्या 158/सा०प्र०/2019 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० गोपीनाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग के दिनांक 05.02.2019 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हुये सेवानिवृत्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) परिनियम 2.20 (5) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, अधिष्ठाता-वाणिज्य संकाय को दिनांक 06.02.2019 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि या कोई अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
6	कार्यालय आदेश संख्या 159/सा०प्र०/2019 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० गोपीनाथ, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय के दिनांक 05.02.2019 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य संकाय के वरिष्ठतम आचार्य प्रो० अवधेश कुमार तिवारी को दिनांक 06.02.2019 से तीन वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या कोई अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता-वाणिज्य संकाय नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
7	कार्यालय आदेश संख्या 344/सा०प्र०/2019 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री नीरज आर्या, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 15.11.2018 को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त गोपनीय आख्या के आधार पर दिनांक 16.11.2018 से कनिष्ठ


	सहायक के पद पर स्थायी किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।																																			
8	कार्यालय आदेश संख्या 360/सा0प्र0/2019 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विधि विभाग में गेस्ट फैंकल्टी/अंशकालिक प्रवक्ता के पद पर निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। (प्रतिलिपि संलग्न) 1. श्री राम कृष्ण त्रिपाठी पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी (सामान्य) 2. श्री अमित कुमार दूबे पुत्र स्व0 विश्वम्भर प्रसाद दूबे (सामान्य) 3. श्री जय प्रकाश आर्या पुत्र श्री श्याम रथी आर्या(सामान्य) 4. श्री पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री मदन किशोर सिंह (अ0पि0) कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।																																			
9	कार्यालय आदेश संख्या 174/सा0प्र0/2019 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री राम सागर (सेवानिवृत्त) वरिष्ठ आशुलिपिक, कुलसचिव कार्यालय को शासनादेश सं0 3-13291/ दस-97-930/83 दिनांक 27 सितम्बर, 1997 के क्रम संख्या-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 01.02.2019 से एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में पुनर्नियोजित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने शासनादेश सं0 3-13291/ दस-97-930/83 दिनांक 27 सितम्बर, 1997 के क्रम संख्या-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री राम सागर (सेवानिवृत्त) वरिष्ठ आशुलिपिक, कुलसचिव कार्यालय को दिनांक 01.02.2019 से एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुये स्वीकृति प्रदान की।																																			
10	कार्यालय आदेश संख्या 394/सा0प्र0/2019 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री संजय बाजपेयी, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 13.12.2018 को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त गोपनीय आख्या के आधार पर दिनांक 14.12.2018 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।																																			
11	संशोधित कार्यालय आदेश संख्या 393/सा0प्र0/2019 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन निम्नलिखित कर्मचारियों को समूह घ (चतुर्थ संवर्ग) के पद से तृतीय संवर्ग के (समूह ग) लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक (नैतिक लिपिक) के पद पर वेतनमान रु 5200-20,200 एवं ग्रेड पे रु 2000 में प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी संशोधित आदेश से अवगत होना। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0स0</th> <th>नाम</th> <th>पिता का नाम</th> <th>पूर्व विभाग</th> <th>प्रोन्नति पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>श्री मुकेश कुमार पाण्डेय</td> <td>स्व0 बागेश्वर पाण्डेय</td> <td>के0 ग्रन्थालय</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>श्री जवाहर प्रसाद गोतम</td> <td>श्री बीरझन प्रसाद</td> <td>स्वास्थ्य केन्द्र</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>श्री जयनाथ प्रजापति</td> <td>स्व राम किशुन प्रजापति</td> <td>स्वास्थ्य केन्द्र</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>श्री हितेश कुमार पाण्डेय</td> <td>स्व0 जगदीश पाण्डेय</td> <td>लेखा विभाग</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>श्री राम करन</td> <td>श्री राम सूरत</td> <td>ई0डी0पी0 सेल</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>श्री शत्रुघ्न आनन्द</td> <td>श्री रंगई प्रसाद</td> <td>रसायन शास्त्र</td> <td>कनिष्ठ सहायक</td> </tr> </tbody> </table> कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।	क्र0स0	नाम	पिता का नाम	पूर्व विभाग	प्रोन्नति पद	1	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय	स्व0 बागेश्वर पाण्डेय	के0 ग्रन्थालय	कनिष्ठ सहायक	2	श्री जवाहर प्रसाद गोतम	श्री बीरझन प्रसाद	स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ सहायक	3	श्री जयनाथ प्रजापति	स्व राम किशुन प्रजापति	स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ सहायक	4	श्री हितेश कुमार पाण्डेय	स्व0 जगदीश पाण्डेय	लेखा विभाग	कनिष्ठ सहायक	5	श्री राम करन	श्री राम सूरत	ई0डी0पी0 सेल	कनिष्ठ सहायक	6	श्री शत्रुघ्न आनन्द	श्री रंगई प्रसाद	रसायन शास्त्र	कनिष्ठ सहायक
क्र0स0	नाम	पिता का नाम	पूर्व विभाग	प्रोन्नति पद																																
1	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय	स्व0 बागेश्वर पाण्डेय	के0 ग्रन्थालय	कनिष्ठ सहायक																																
2	श्री जवाहर प्रसाद गोतम	श्री बीरझन प्रसाद	स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ सहायक																																
3	श्री जयनाथ प्रजापति	स्व राम किशुन प्रजापति	स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ सहायक																																
4	श्री हितेश कुमार पाण्डेय	स्व0 जगदीश पाण्डेय	लेखा विभाग	कनिष्ठ सहायक																																
5	श्री राम करन	श्री राम सूरत	ई0डी0पी0 सेल	कनिष्ठ सहायक																																
6	श्री शत्रुघ्न आनन्द	श्री रंगई प्रसाद	रसायन शास्त्र	कनिष्ठ सहायक																																
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 की अधिसूचना (भारत का राजपत्र) दिनांक 23 जुलाई, 2018 से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत अधिसूचना (भारत का राजपत्र) से अवगत हुई।																																			

13	<p>कार्य परिषद् ने रेडियेंट कालेज आफ लॉ, मनबेला, मेडिकल कालेज रोड, गोरखपुर को सम्बद्धता प्राप्ति के निमित्त जमा किये गये प्राभूत से सम्बन्धित धनराशि का एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
14	<p>कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 396/सा0प्र0/2019 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.02.2019 के अनुपालन में डॉ0 मालविका श्रीवास्तव, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 45155/2013 डॉ0 (श्रीमती) मालविका श्रीवास्तव बनाम दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में निस्तारण सम्बन्धी आदेश के अनुमोदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 396/सा0प्र0/2019 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.02.2019 से अवगत होते हुये में डॉ0 मालविका श्रीवास्तव, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 45155/2013 डॉ0 (श्रीमती) मालविका श्रीवास्तव बनाम दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में निस्तारण सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुये अनुमोदन प्रदान किया।</p>
15	<p>कार्य परिषद् ने डॉ0 अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 21.02.2019 से अपने पद से त्यागपत्र दिये जाने हेतु दिये गये पत्र दिनांक 21.02.2019 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ0 अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 21.02.2019 से अपने पद से त्यागपत्र दिये जाने हेतु दिये गये आवेदन को स्वीकार किया।</p>
16	<p>कार्य परिषद् डॉ0 अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के द्वारा दिनांक 21.02.2019 से एक वर्ष तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु दिये गये आवेदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् डॉ0 अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के एक वर्ष तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी आवेदन को अस्वीकार किया।</p>
17	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर कार्य से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय, आचार्य, वाणिज्य विभाग के द्वारा दिनांक 19.03.2019 को दिये गये पत्र पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.03.2015 के बिन्दु संख्या-1 में लिये गये निर्णय "कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 46 पर अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 की बिन्दु संख्या 10, 11 एवं 12 द्वारा प्रो0 राजेन्द्र सिंह-प्राणिविज्ञान विभाग, प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय-वाणिज्य विभाग एवं प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव- प्राणिविज्ञान विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 393/जी0एस0/ 7-जी0एस0 (68)/2012 दिनांक 14.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित अनुशासनिक समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए तीनों आचार्यों प्रो0 राजेन्द्र सिंह (प्राणिविज्ञान विभाग), प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय (वाणिज्य विभाग), प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव (प्राणिविज्ञान विभाग) के वेतन, वरिष्ठता एवं</p>

	सेवाओं का सातत्य सुरक्षित रखा जाय तथा बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, पढ़ा जाय। के अनुसार प्रो० पाण्डेय की अन्य शिक्षकों की भौति समस्त लाभ देय होंगे का निर्णय लिया।
18	कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया।
(क)	कार्य परिषद् ने नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर सर्विस इन्कारपोरेटेड, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर से सम्बन्धित विभिन्न तरह के कार्य हेतु नामित दो व्यक्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं श्री विवेक कुमार का कार्यकाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने के पश्चात पुनः दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 (एक वर्ष) तक कार्य अवधि को विस्तारित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर सर्विस इन्कारपोरेटेड, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर से सम्बन्धित विभिन्न तरह के कार्य हेतु नामित दो व्यक्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं श्री विवेक कुमार का कार्यकाल दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने के पश्चात पुनः दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 (एक वर्ष) तक कार्य अवधि को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान किया।
(ख)	कार्यालय आदेश संख्या 628/सा०प्र०/2019 दिनांक 28.03.2019 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन रिलायंस जियो कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान करने हेतु टावर लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु गठित समिति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
(ग)	कार्य परिषद् ने समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिए अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग -2 संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2019 के कार्यालय-ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकार करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिए अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग -2 संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2019 के कार्यालय-ज्ञाप से अवगत होते हुये स्वीकार किया।
(घ)	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में रिलायंस जियो द्वारा निःशुल्क वाई-फाई नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करने हेतु रिलायंस के इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत नये प्रारूप पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिलायंस जियो द्वारा निःशुल्क वाई-फाई नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करने हेतु रिलायंस के इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत नये प्रारूप को स्वीकार किया।
(ङ)	कार्य परिषद् ने प्रो० विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, प्रो० शान्तनु रस्तोगी, आचार्य, भौतिकी विभाग, डॉ० निखिलकान्त शुक्ला, डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ० सोम शंकर दूबे, डॉ० नेत्रपाल सिंह, सहयुक्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, डॉ० अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ० राजू कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग के वेतन संरक्षण पर गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रो० विजय शंकर वर्मा, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, प्रो० शान्तनु रस्तोगी, आचार्य, भौतिकी विभाग, डॉ० निखिलकान्त शुक्ला, डॉ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ० सोम शंकर दूबे, डॉ० नेत्रपाल सिंह, सहयुक्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, डॉ० अशोक कुमार सिंह, सहयुक्त आचार्य,

	वाणिज्य विभाग, डॉ० राजू कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग के वेतन संरक्षण पर गठित समिति की संस्तुतियों को नियमानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिया।
(च)	कार्य परिषद् ने कुलपति कार्यालय में कार्यरत श्री लाल बहादुर, प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो कार्य लेने के आदेश के क्रम में पुनः 01 अप्रैल, 2019 से एक वर्ष के लिए अथवा विश्वविद्यालय में नई नियुक्ति होने तक शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित एवं वित्त समिति द्वारा पारित मानदेय पर कुलपति कार्यालय में कार्य लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कुलपति कार्यालय में कार्यरत श्री लाल बहादुर, प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृत्ति होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो कार्य लेने के आदेश के क्रम प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पुनः 01 अप्रैल, 2019 से एक वर्ष के लिए अथवा विश्वविद्यालय में नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित एवं वित्त समिति द्वारा पारित मानदेय पर कुलपति कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य लेने की अपनी सहमति प्रदान की।
(छ)	कार्य परिषद् ने अभियन्ता के स्वीकृत पद के सापेक्ष वित्त समिति द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर एक अभियन्ता (आर्किटेक्ट) से कार्य लिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अभियन्ता के स्वीकृत पद के सापेक्ष वित्त समिति द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर एक आर्किटेक्ट से कार्य लिये जाने हेतु प्रस्ताव को स्वीकार किया।

प्रो० एस०के० दीक्षित, प्रति-कुलपति, सदस्य कार्यपरिषद् के द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव


कुलपति